कार्यालय नगर पालिक निगम बीरगांव,जिला–रायपुर (छ.ग.)

क्रं./45/न.पा.नि./जलप्रदाय शाखा/2018/ **बीरगांव,दिनांक 04/08/2018**

ई-प्रोक्यूरमेंट निविदा आमंत्रण सूचना (e-Procurement Tender Notice)– I Call

Portal: **https://eproc.cgstate.gov.in** ***(System Tender No. 41042)***

पार्षद निधि वार्ड कं. 28 से डी. आई. पाईप लाईन विस्तारीकरण कार्य के लिए पात्र फर्मों/ठेकेदारों से ई–टेण्डरिंग के माध्यम से **ई–निविदा** आमंत्रित की जाती है। इच्छुक सक्षम पात्र निविदाकार, निविदा प्रपत्र, अनुमानित लागत (रू. 10.09 लाख), नियम व शर्तें, धरोहर राशि, Key Dates एवं विस्तृत जानकारी कार्यालयीन अवधि में निकाय कार्यालय से प्राप्त कर सकेंगे। यह जानकारी नगर पालिक निगम बीरगांव की वेबसाईट www.nagarnigambirgaon.com व संचालनालय की बेबसाईट www.uad.cg.gov.in में भी उपलब्ध है। इंसे **https://eproc.cgstate.gov.in** से डाउनलोड/प्राप्त कर **ई-टेण्डरिंग** के माध्यम से निविदा भरने की कार्यवाही कर सकते हैं।

आयुक्त
नगर पालिक निगम, बीरगांव
जिला–रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रं./46/न.पा.नि./जलप्रदाय शाखा/2018/ **बीरगांव,दिनांक 04/08/2018**

प्रतिलिपि :–

01. निज सहायक, मान. महापौर, नगर पालिक निगम, बीरगांव की ओर सादर सूचनार्थ।
02. एम.आई.सी.सदस्य,जलप्रदाय शाखा की ओर सादर सूचनार्थ।
03. **महाप्रबंधक, छ.ग. संवाद रायपुर की ओर एक बहुप्रसारित राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्र के आगामी साधारण अंक में *एक दिवस न्यूनतम स्पेश* में प्रकाशन हेतु प्रेषित। कृपया प्रकाशन उपरांत देयक भुगतान हेतु प्रेषित करने का कष्ट करेंगे।**
04. कार्यालय नगर पालिक निगम बीरगांव,जिला–रायपुर (छ.ग.) नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु सादर प्रेषित।
05. डॉटा सेन्टर, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, नया रायपुर, छ.ग. की ओर संचालनालय की बेबसाईट www.uad.cg.gov.in में अपलोड करने हेतु।

आयुक्त
नगर पालिक निगम, बीरगांव
जिला–रायपुर (छ.ग.)

Scanned by CamScanner

जावेगा। पात्रता संबंधी दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत पात्र पाये जाने की स्थिति में ही प्राईस बिड खोला जावेगा, अन्यथा संबंधित निविदाकार की निविदा निरस्त कर दिया जावेगा।

08. **आवश्यक होने पर ऑन लाईन दस्तावेज के परीक्षण हेतु मूल दस्तावेज इस कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। यदि दस्तावेजों के परीक्षण हेतु मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो निविदा अमान्य किया जावेगा।**

09. निर्धारित समयावधि में इकरारनामा/एग्रीमेंट नहीं करने पर आयुक्त, नगर पालिक निगम, बीरगांव द्वारा निविदा निरस्त किया जा सकेगा एवं अमानत राशि राजसात कर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

10. प्रत्येक रनिंग देयकों में 5 प्रतिशत सुरक्षा राशि रोकी जावेगी एवं अन्य करों/उपकर की कटौती शासन के नियमानुसार होगी।

11. कार्य में प्रयुक्त सामग्री की टेस्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा।

12. दर सभी कर मिलाकर प्रस्तुत करना होगा।

13. कार्य की लागत/मात्रा में कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है। जिसमें कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।

14. निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं करने पर निविदाकार के देयक से निविदा/संविदा की शर्तों के अनुसार कटौती की जावेगी।

15. पाईप लाईन विस्तारीकरण में टेस्टिंग के पश्चात् 06 महीने तक लीकेज होने पर मरम्मत / संधारण का कार्य निविदाकार को करना आवश्यक होगा। जिसमें होने वाला अतिरिक्त व्यय निविदाकार को स्वयं वहन करना होगा। इसके लिए पृथक से भुगतान देय नहीं होगा। छः महीने निःशुल्क संधारण मरम्मत कार्य की जिम्मेदारी निविदाकार की होगी।

16. उपयोग किया गया सामग्री आई.एस.आई. मार्क एवं निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप होना अनिवार्य है।

17. पाईप लाईन विस्तारीकरण उपरांत काटे गए रोड की भराई/कांक्रीटीकरण आदि मरम्मत कार्य निविदाकार को करनी होगी, जिसके लिए अनुबंधित दरों पर भुगतान देय होगा।

18. यदि आयुक्त/इंजीनियर की राय में कोई भी किया गया काम विकृत/अपूर्ण या कुशल कारीगर के नहीं है या उसमें उपयोग किया गया सामान हीन है, तो लिखित में मांग किये जाने पर वह निविदाकार उसमें तुरंत सुधार करेगा, उसे हटायेगा या उसकी पूरी तरह या अंशतः जैसी भी परिस्थिति हो पुनः निर्माण करेगा जिसके लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा और उसके इस कार्यों को आयुक्त/इंजीनियर जैसी भी परिस्थिति हो द्वारा निर्धारित समयावधि में पूरा करने से इंकार करने पर या हीन गुणों के समझे गये सामान को और ठेके शर्तों के विपरीत सामान को कार्य स्थल से निर्धारित समय में हटाने और निष्प्रयोजन वस्तुओं या सामग्री के स्थान पर शीघ्र ही योग्य वस्तु या सामान न जाने पर आयुक्त/इंजीनियर द्वारा लिखित मांग किये जाने से 10 दिन से अनाधिक समय में अनुपालन ना करने पर प्राक्कलन की राशि पर एक प्रतिशत की दर से क्षति का भुगतान निविदाकार को करना होगा।

19. समयावधि में कार्य पूर्ण न करने की स्थिति में निविदा निरस्त कर अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी। पुनः निविदा कर अन्तर की राशि निविदाकार से वसूली की जावेगी।

20. निर्माण में नगर पालिक निगम अधिनियम तथा कार्य विभाग मैन्यूअल का पालन करना होगा ।

21. छ.ग. शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ–5/190/18/05 रायपुर दिनांक 19/01/2012 के अनुसार :– ''सफल निविदादाता से अनुबंध के समय अतिरिक्त परफार्मेंस राशि जमा कराई जावेगी, जबकि निविदा के दरों में काफी कमी हो, जैसे निविदादाता को अनुमानित लागत से 10 प्रतिशत से कम निविदा दर होने पर सफल निविदादाता को निविदा दर एवं अनुमानित लागत के 90 प्रतिशत के अंतर की राशि के समतुल्य परफार्मेंस गारंटी के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक/छ.ग. शासन द्वारा अधिसूचित बैंक का एफ.डी.आर., पोस्ट ऑफिस टाईम डिपॉजिट, एन.एस.सी. जो कि संबंधित निकाय के आयुक्त के नाम से देय होगा, जमा कराना अनिवार्य होगा । उपरोक्त राशि को जमा न कराने की दिशा में निविदा निरस्त कर दी जावेगी।''

22. अनुबंध अनुसार नियम एवं शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।

23. किसी भी विवाद की स्थिति में आयुक्त, नगर पालिक निगम बीरगांव का निर्णय मान्य होगा।

Scanned by CamScanner

24. बुलाई गई निविदा को किसी भी समय सक्षम अधिकारी द्वारा बिना कारण बताये निरस्त किया जा सकेगा।

25. अन्य नियम व शर्तों से संबंधित जानकारी कार्यालयीन अवधि में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

26. कार्यों का विवरण निम्नानुसार है :—

No	System Tender No.	Name of the Work	Amount of the Estimate Rs. Lacs	Earnest Money Deposit Rs.	Eligible class of contractor /firm	Tender form fees + Tender Processing fees Rs.	Time allowed for Completion (Months)	SOR Applicable
1	41042	LAYING Of DI PIPE LINE WARD No. 28 Birgaon	10.09	10000/-	Class- D & above	750	2 months	[Unified Schedule of Rates (Part-I) of PHE Department for Water Supply, Sewerage Works w.e.f. 07-02-2013 with all amendments up to date]

for आयुक्त
नगर पालिक निगम, बीरगांव
जिला–रायपुर (छ.ग.)

Scanned by CamScanner

कार्यालय नगर पालिक निगम बीरगांव,जिला–रायपुर (छ.ग.)

डी.आई. पाईप लाईन विस्तारीकरण कार्य E-Tender_Ist Call

(प्रथम ई–निविदा आमंत्रण)

पार्षद निधि वार्ड कं. 28 (16-17,17-18,18-19)

निविदा की शर्तें

01. संचालनालय,नगरीय प्रशासन एवं विकास छ.ग. नया रायपुर के आदेश कं./6876/डाटा सेंटर/ई–टेण्डरिंग/2017–18/नया रायपुर, दिनांक 24.03.2018 के आदेशानुसार ई–निविदा हेतु अमानत राशि, टेण्डर डॉक्यूमेन्ट फीस तथा समस्त दस्तावेज केवल ऑन–लाईन के माध्यम से स्वीकार होगी। फिजिकल सबमिशन/ऑफ लाईन मान्य नहीं होगी।
02. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
03. निविदा की सामान्य शर्तें, धरोहर राशि, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी कार्यालयीन अवधि में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
04. निविदा में भाग लेने हेतु पात्रता – (1) एकीकृत पंजीयन से पंजीकृत निविदाकार का सक्षम श्रेणी में जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र (2) यदि पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर शीप डीड प्रमाण पत्र (3) पेन कार्ड (4) जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र (5) आयकर विभाग से विगत 02 वर्षो का आयकर रिटर्न (ITR) (6) ई.पी. एफ. रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र (7) ई.एस.आई.सी. रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र (8) विभाग/संस्था द्वारा ब्लैक लिस्टेड नहीं होने का रू. 100.00 के नॉनज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र (मूल शपथ पत्र) (9) राजस्व शोध क्षमता प्रमाण पत्र अथवा बैंक साल्वेंसी अथवा बैंक गारंटी जो कि 12 माह से अधिक पुरानी न हो, निम्नानुसार :–

    1. रू. 2.00 लाख से अधिक एवं 5.00 लाख तक के ठेकों के लिये रू. 0.25 लाख
    2. रू. 5.00 लाख से अधिक एवं 25.00 लाख तक के ठेकों के लिये रू. 3.00 लाख
    3. रू. 25.00 लाख से अधिक एवं 50.00 लाख तक के ठेकों के लिये रू. 5.00 लाख
    4. रू. 50.00 लाख से अधिक एवं 200.00 लाख तक के ठेकों के लिये रू.12.00 लाख
    5. रू. 200.00 लाख से अधिक के ठेकों के लिये रू. 25.00 लाख की राजस्व शोध क्षमता प्रमाण पत्र अथवा बैंक साल्वेंसी अथवा बैंक गारंटी जो कि 12 माह से अधिक पुरानी न हो।

    (10) नगरीय निकायों अथवा शासकीय विभागों में कम से कम निविदा लागत राशि के बराबर डी.आई. पाईप लाईन कार्य का कार्यानुभव प्रमाण पत्र। **इन सभी दस्तावेजों की नोटरी द्वारा सत्यापित प्रतियां *ऑन–लाईन* ही जमा करना अनिवार्य होगी।**

05. यदि निविदाकार एक से अधिक समूह में निविदाएं प्रस्तुत करना चाहता है तो प्रत्येक निविदा समूह के लिए कण्डिका कं. (04) के अनुसार **नोटरी द्वारा सत्यापित दस्तावेजों** का पृथक–पृथक सेट ऑन–लाईन जमा करना अनिवार्य होगा।
06. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नगरीय निकायों के लिए निर्धारित निविदा प्रपत्र 'अ' नगर पालिक निगम बीरगांव की वेबसाईट **www.nagarnigambirgaon.com** अथवा संचालनालय की बेबसाईट **www.uad.cg.gov.in** व **eproc.cgstate.gov.in** में उपलब्ध है।
07. निविदाकार ई–टेण्डर के लिफाफा "ए" में अमानत राशि (ईएमडी) ऑन लाईन जमा करेंगे। लिफाफा "बी" में अपनी पात्रता संबंधी दस्तावेज ऑन लाईन जमा करेंगे। पहले लिफाफा "ए" खोला जायेगा। निर्धारित मूल्य का अमानत राशि (ईएमडी) जमा होने पर ही लिफाफा "बी" पात्रता संबंधी दस्तावेजों का लिफाफा खोला

Scanned by CamScanner